फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कम्पिल

दिनांक :- 13.09.2023

थाना कम्पिल पुलिस/एसओजी व सर्विलांस टीम द्वारा मु0अ0सं0-179/23 धारा- 376डीबी/302/201 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01अभियुक्त व 01 बाल अपचारी को घटना के 24 घण्टे के अन्दर किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सोहराब आलम के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी/सर्विलांस एवं थाना कम्पिल पुलिस फोर्स द्वारा मु0अ0सं0-179/23 धारा- 376डी/302/201 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01अभियुक्त व 01 बाल अपचारी को घटना के 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

दिनांक 12.09.2023 को सूचना मिली की एक बच्ची का शव ग्राम कटिया से हरकरनपुर जाने वाले रास्ते के बराबर में खेत में पड़ा है जिसकी सूचना पर थाना कम्पिल पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर जाकर शव को कब्जे मे लेते हुये फील्ड यूनिट व स्पेशल फारेन्सिक टीम द्वारा घटना से संबधित साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया।
टीमों द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त व साथी बाल अपचारी को घटना के 24 घण्टे के अन्दर हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त शाहिद व बाल अपचारी द्वारा गलती की माफी मांगते हुए जुर्म का इकबाल किया कि साहब मै और मेरा साथी कल सुबह के समय अपने मुर्गी फार्म पर थे तभी मेरे ही मौहल्ले की मृतका मुर्गी फार्म की तरफ चलकर अपने पैदल आ गयी। मृतका, मेरी भांजी के साथ खेलने के लिए मुर्गी फार्म पर आती रहती थी। हम दोनो ने देख कि आसपास कोई आदमी नही है तो हमने मृतका को गलत नियत से अपने फार्म से आगे खेत मे लगी अरहर की घनी बाड की आड मे ले गये। और बारी बारी से मैने और मेरे साथा ने मृतका के साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर शव को अरहर की लगी बाड मे छुपा दिया था और वहां से भाग गये थे। मृतका के परिजन उसको आसपास खोज रहे थे लेकिन हम दोनो ने किसी को कुछ नही बताया।
अभियुक्त शाहिद व बाल अपचारी के वस्त्रों पर फील्ड यूनिट द्वारा दिये गये प्रदर्शो के क्रम मे गहनता से पूछताछ की गयी तो बाल अपचारी उपरोक्त द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. शाहिद पुत्र इकरार हुसैन नि0 ग्राम कटिया थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।
2. बाल अपचारी

अभियुक्त शाहिद का आपराधिक इतिहास :-

1.मु0अ0सं0 179/23 धारा 376 डीबी/302/201 भा0द0वि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त बाल अपचारी का आपराधिक इतिहास :-

1.मु0अ0सं0 179/23 धारा 376 डीबी/302/201 भा0द0वि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

अनावरण करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कम्पिल पुलिस टीम:-

श्री अशोक कुमार थानाध्यक्ष कम्पिल मय हमराह पुलिस बल

थाना शमसाबाद पुलिस टीम:-

श्री बलराज भाटी थानाध्यक्ष मय हमराह पुलिस बल

थाना नवाबगंज पुलिस टीम:-

श्री जयप्रकाश शर्मा थानाध्यक्ष मय हमराह पुलिस बल

एसओजी टीम:-

1. नि0 श्री अमित गंगवार प्रभारी एसओजी
2. हे0का0 प्रवीन कुमार
3. हे0का0 अजीत गौतम
4. का0 रामू यादव
5. का0 अमरनाथ शर्मा

सर्विलांस टीम:-

1. हे0का0 अनुराग
2. हे0 का0 करन कुमार

फील्ड युनिट (कानपुर/फतेहगढ़):-

1. डा0 पीके श्रीवास्तव मय टीम
2. का0 सचिन कुमार (फतेहगढ़)

(मीडिया सेल फतेहगढ़)

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.वसीम अहमद पुत्र मुस्तकीम 2.मुस्तकीम पुत्र ऐवज अली 3.श्रीमती मेहरुनिशा पत्नी मुस्तकीम नि0गण खुदागंज थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद मु0अ0सं0- 462/2017 वाद सं0- 202/2017 धारा 498A,304B भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना कमालगंज में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 13.09.2023 को मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद फर्रूखाबाद द्वारा **अभियुक्तगण 1.वसीम अहमद 2.मुस्तकीम 3.श्रीमती मेहरुनिशा उपरोक्त को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 07 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 50,000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी श्री अशोक कटियार

पैरोकार का0 संजीव कुमार

थाना कमालगंज

@fatehgarhpolice @fatehgarhpolice fatehgarhpolice

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :- 13.09.23

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तगणों को मय सट्टा सामग्री डायरी टाइप पैड- 06 व 64 सट्टा पैड के पेपर, 02 डाट पेन एवं 01 मोबाइल) व 22,530 रू0 नगद के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री प्रशान्त कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप सिंह** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर 04 अभियुक्तगणों को मय सट्टा सामग्री (खातावही/रजि0 डायरी टाइप पैड-06 व 64 सट्टा पैड के पेपर, 02 डाट पेन एवं 01 मोबाइल) व 22,530 रू0 नगद के साथ गिरफ्तार कर कोतवाली फतेहगढ़ में मु0अ0स0- 452/23 धारा ¾ सार्वजानिक जुआ अधिनियम 1867 में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1- विशाल पुत्र स्व0 संतराम निवासी अंधेरी वाग कोतवाली फतेहगढ़

2- शिवा वाल्मीकि पुत्र सुमन बाबू निवासी वगिया मोहल्ला लोको रोड भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़

3- निर्मल पुत्र रामदयाल निवासी सेन्टपोल स्कूल के पास वंधौआ कोतवाली फतेहगढ़

4- अनिल पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल निवासी सेन्टपोल स्कूल के पास वंधौआ कोतवाली फतेहगढ़

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण के द्वारा अपने जुर्म की मांफी मांगते हुये बताया गया कि हम लोगों के द्वारा घर के अन्दर सट्टे की खाई बाडी कर रहे थे तभी पुलिस बल के द्वारा हम लोगो को पकड़ लिया गया तथा जो माल व साम्रगी बरामद हुयी है वो हमारी ही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. सट्टा सामग्री डायरी टाइप पैड- 06

2. 64 सट्टा पैड के पेपर

3. 02 डाट पेन

4. 01 मोबाइल

5. 22,530 रू0 नगद।

अभियुक्तगण विशाल, शिवा, निर्मल, अनिल का आपराधिक इतिहास -

1- मु0अ0स0- 452/23 धारा ¾ सार्वजानिक जुआ अधिनियम कोतवाली फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1- श्री प्रदीप सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर 2. प्र0नि0 सचिन कुमार सिंह 3. उ0नि0 श्री भूकेन्द्र सिंह,
4. का0 रोहित कुमार 5. का0 सुशील कुमार 6. का0 मनोहर
7. का0 अरविन्द कुमार 8. म0का0 भारती

गिरफ्तार/बरामद करने वाली SOG टीम –

1- प्रभारी निरीक्षक श्री अमित गंगवार 2. HC गजराज सिंह 3. HC अजीत गौतम
4. का0 अमरनाथ शर्मा 5. का0 कपिल कुमार 6. का0 रामू यादव
7. का0 सचिन कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना राजेपुर

दिनांक :- 13.09.2023

थाना राजेपुर पुलिस टीम द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रवीन्द्रनाथ राय के नेतृत्व में वारण्टियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पुलिस टीम द्वारा वारण्टीगण 1.दुष्यन्त पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी ग्राम सीढेचकरपुर थाना राजेपुर सम्बन्धित वाद सं0- 1241/20 धारा 323/504/506 भादवि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट हवाली फर्रूखाबाद, 2.कल्लू पुत्र नन्हे निवासी खण्डौली थाना राजेपुर सम्बन्धित वाद सं0 148/20 धारा 380/411 भादवि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट हवाली फर्रूखाबाद, 3.नरेश पुत्र दिवारीलाल निवासी कुइंया थाना राजेपुर थाना राजेपुर सम्बन्धित वाद सं0 99/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट हवाली फर्रूखाबाद को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टीगणों के नाम व पता:-

1.दुष्यन्त पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी ग्राम सीढेचकरपुर थाना राजेपुर
2.कल्लू पुत्र नन्हे निवासी खण्डौली थाना राजेपुर
3.नरेश पुत्र दिवारीलाल निवासी कुइंया थाना राजेपुर थाना राजेपुर

गिरफ्तार करने वाली थाना राजेपुर पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री दिवाकर प्रसाद सरोज
2. उ0नि0 जितेन्द्र चौधरी
3. सहा0उ0नि0 उदयनरायण शुक्ला
4. हे0कां0 दिलीप कुमार
5. कां0 अभिषेक कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 13.09.2023

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊदरवाजा मय हमराह फोर्स के द्वारा थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया।

थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 374/23 धारा 306 भादवि में वांछित अभियुक्त मोहन पुत्र रामविलास निवासी चमन नगरिया मानिकपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद को आज दिनांक 13.09.2023 को विवेचक प्रभारी निरीक्षक मऊदरवाजा श्री आमोद कुमार सिंह मय फोर्स के द्वारा दौराने बैंक चैकिंग मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर बघार पुल के पास से समय 11.25 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त द्वारा बताया गया कि करीब दो माह पहले मेरी पत्नी ने मेरी वजह से आत्महत्या कर ली थी, जिस पर मेरे ससुराल वालो ने मेरे खिलाफ थाना मऊदरवाजा पर मुकदमा भी लिखा दिया था, तो लोगो ने मुझे डरा दिया था कि तुम अपनी पत्नी को हैरान परेशान करते रहते थे और उसकी आत्महत्या के लिये जिम्मेदार हो तुमको पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। इसलिये पुलिस से बचने के लिये मैं छिपा और भागा घूम रहा था कि कहीं मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाये लेकिन आज मुझे पुलिस ने पकड़ा लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मोहन पुत्र रामविलास निवासी चमन नगरिया मानिकपुर थाना मऊदरवाजा

अभियुक्त मोहन का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 374/23 धारा 306 भा0द0वि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रु0
2. अन्य थाना जात से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री आमोद कुमार सिंह
2. आ0 भूपेन्द्र
3. आ0 पंकज
4. आ0 विपुल वशिष्ठ

मीडिया सेल फतेहगढ़